



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 129]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 24 फरवरी 2018—फाल्गुन 5, शक 1939

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2018

क्र. एफ-3-95-2015-अठारह-5.—एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा प्रस्तुत हरदा निवेश क्षेत्र के लिए प्रारूप विकास योजना 2021 में राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार उपांतरण करने का निर्णय लिया गया है। अतः मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण सूचना के माध्यम से दिनांक 24 फरवरी 2018 को प्रकाशित किया जा रहा है। उपांतरणों का विस्तृत विवरण बेबसाइट www.mptownplan.nic.in पर उपलब्ध है तथा जिसका निम्नलिखित कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन छोड़कर सूचना प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस तक की कालावधि में निरीक्षण किया जा सकेगा:—

(1) अवर सचिव, मध्यप्रदेश, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, भोपाल,

(2) उप-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, होशंगाबाद।

2. प्रारूप विकास योजना हरदा 2021 की पुस्तिका में कंडिका 4.7.1 तथा कंडिका 4.24 में, टंकन त्रुटियों में सुधार किया जाना प्रस्तावित है।

3. उपांतरण का विवरण:—

हरदा विकास योजना 2021 के रंगीन मानचित्र क्रमांक 2.3, कंडिका 4.20(स) का द्वितीय पैरा एवं कंडिका 4.24 की सारणी 4-सा-19 के अनुक्रमांक 4 एवं 8 में उपांतरण प्रस्तावित है।

4. प्रस्ताव का विस्तृत विवरण www.mptownplan.nic.in पर अवलोकन किया जा सकता है।

5. उक्त उपांतरण विवरण के संबंध में यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, भोपाल के कार्यालय में लिखित रूप से सूचना प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस की कालावधि में प्रस्तुत किये जा सकते हैं। समयावधि में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत लिया जा सकेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. साधव, उपसचिव।